गोपीराम - जागरमल 4/2010

दिनांक	आज्ञा पत्र
9-7-18	वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस उभयपक्ष सुनी गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गोपीराम द्वारा इस न्यायालय में आराजी ख0नं0 177 व 178 कुल किता-2 रकबा 1.13 हैक्टर ग्राम जीवावाली ढाणी का राजकीय उच्च प्रा0 वि0 को भवन व खेल मैदान हेतु जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने दिनांक 4-3-2008 को आवंटित कर दी। जबकि इस आराजी पर गोपीराम के पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा तथा वर्तमान में गोपीराम का कब्जा काश्त है। इस आराजी लगान प्रार्थी के पूर्वज गणपत ने अदा किया है । इसके बाद भी जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये इस आराजी को अलोट कर दी जिसकी अपील अदालत हाजा में की गई । जिस पर अदालत हाजा ने दिनांक 24-3-2008 को स्थगन आदेश जारी कर उक्त आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये । अप्रार्थीगण एक राय होकर दिनांक 13-8-2009 को उक्त आराजी के चारो तरफ की तारबन्दी को उखाड दी तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी ।अप्रार्थीगण ने जानबुझकर अदालत हाजा के स्थगन आदेश का उलघंन किया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अतः अदालत हाजा के स्थगन आदेश का उलघन्न (अवमानना) करने के लिये अप्रार्थीगण को कारावास की सजा से दण्डित किया जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बहस सुनी गई । बहस बगौर समाहत की गई ।राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश की कोई अवेहला नहीं की है । प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है । यदि किसी अप्रार्थी ने ऐसा किया है तो उसके लिये माफी चाहता हूँ। प्रकरण रिमाण्ड हो गया दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय किया जायेगा। भविष्य में न्यायालय के आदेश की कोई अवमानना नहीं की जावेगी । बहस बगोर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-75 के तहत दर्ज अपील को स्वीकार कर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जा चुका है ।अब प्रार्थना पत्र में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं मानते हुये यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । ण निर्णय सुनाया गया । 9/7/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	